1

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual Report in compliance of order dated 11.05.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Original Application No. 330 of 2022 titled Ganesh Chand Sharma Versus State of Uttarakhand & Ors.

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Factual Report	1 - 4
2	**Annexure-1**. Copy of Joint inspection report dated 21.05.2022 of the Joint Committee.	5 - 8
3	**Annexure-2**. Copy of letter forwarded to Head of the Department/Engineer-In-Chief, Public Works Department Uttarakhand dated 24.05.2022.	9 - 9

Date: 02.06.2022

Place: Dehradun

FACTUAL REPORT

Original Application No. 330 of 2022

In the matter of:

Ganesh Chand Sharma ……………... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. .. …..……… Respondent

I. BACKGROUND

1. The Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Original Application No. 330/2022 titled Ganesh Chand Sharma Versus State of Uttarakhand & Ors. *inter alia* issued following directions on dated 11.05.2022:

   "1 to 3 ….xxx…………..………..xxx………………………xxx

   4. In view of the grievances raised in the letter petition, the factual position also needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee of State PCB, Executive Engineer, PWD Department and District Magistrate, Almora and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and in particular consider the alternative suggested by the applicant in para 5.10 of the application for saving the Naula from destruction in consultation with some local expert in the field of Himalayan Geo-hydrology, if so required. State PCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance. Report may be furnished on or before 26.05.2022 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

   xxx………………………………xxx……………………..xxx"

2. Pursuant to the compliance of order passed by the Hon'ble NGT, inspection of the site was carried out on 21.05.2022 by the Joint Committee. Following officials were part of the Joint Committee:

i) Shri Jaivardhan Sharma, Sub-District Magistrate, Salt Khumad (Almora)
ii) Dr. Lalit Mohan Tiwari, Tehsildar, Salt Khumad (Almora).
iii) Er. L.D. Mathela, Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Ranikhet (Almora).
iv) Dr. D.K. Joshi, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani (Nainital).
v) Shri Mukesh Kumar, Assistant Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Bhikiyasain (Almora).

II. FACTUAL REPORT:

The observations and recommendation made by the Joint Committee are as follows:

1. The Joint Committee visited the *Naula*/Water Source located at village Malla Dhadharia, Tehsil Salt Khumad, District Almora. The Petitioner was also present at the time of inspection.
2. The total length of proposed motor road is 21 Km, out of which 2.225 Km. motor road is under construction.
3. The present alignment of proposed road is about 20 meter above the said *Naula*/Water Source located at village Malla Dhadharia. As per finding of the Joint Committee, there is possibility of damage to said Nula/water source due to construction of said motor road. However, during inspection the said *Naula*/water source was found undisturbed.
4. After field inspection and discussion with the villagers of Malla Dhadharia and Talli Dhadharia, the Joint Committee found that the *Naula*/water source may be conserved if the alignment of the proposed road is changed.

Copy of inspection report of Joint Committee is enclosed herewith as **Annexure-1**.

III. ACTION TAKEN BY UKPCB

Uttarakhand Pollution Control Board has requested the Head of the Department/Engineer-in-Chief, Public Works Department, Uttarakhand vide letter dated 24.05.2022 to take necessary action as per recommendation of the Joint Committee and inform to the Hon'ble NGT about the action taken by the Department. Copy of the letter was also forwarded to the Principal Secretary, Public Works Department, Govt. of Uttarakhand for information.

Copy of letter issued on dated 24.05.2022 is enclosed as **Annexure-2**.

****

Annexure-1

UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
Phone - 05946-225618 E-mail : ro.haldwani@gmail.com

Ref:UKPCB/ROH/रि0/22/499-196 दिनाक 23/05/22

कोर्ट मैटर
आवश्यक

सेवा में
सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 1104
Date 25/5/22

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं.–330/2022 में पारित आदेश दि. 11.05.22 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा.–183–564/2022/220 दि. 17.05.22 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा थराड़ी–धावरा शशिखाल मोटर मार्ग के निर्माण से गॉव मल्ला धघरिया में स्थापित नौले को हो रही क्षति का संयुक्त स्थल निरीक्षण दि. 21.05.22 को किया गया।

निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

23/5/22
(डा0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।
3. उपजिलाधिकारी, सल्ट, खुमाड़, अल्मोड़ा।

क्षेत्रीय अधिकारी

संयुक्त निरीक्षण आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा योजित मूल आवेदन संख्या 330/2022 गणेश चन्द शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.5.2022 के अनुपालन में तराडी डभरा शशीखाल मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम मल्ला डढरिया में स्थापित नौले को क्षति से बचाने के सम्बन्ध में वादी की शिकायत एवं वस्तुस्थिति विशेषतया वादी द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक सुझाव के दृष्टिगत आज दिनांक 21-05-2022 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति की जांच आख्या/रिपोर्ट :-

(तराडी-डबरा-शशीखाल मोटर मार्ग का गूगल मानचित्र

जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत तराडी शशीखाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2404/लो0नि0वि0/2003-2(मा0मु0जी घोषणा) /2003 दिनांक 15-12-2003 द्वारा 40 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 744.20 लाख की प्राप्ति हुयी थी। मूल आवेदन संख्या 330/2022 में दिनांक 11-05-2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया। जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"In view of the grievances raised in the letter petition, the factual position also needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee of State PCB, Executive Engineer, PWD Department and District Magistrate, Almora and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and in particular consider the alternative suggested by the applicant in para 5.10 of the application for saving the Naula from destruction in consultation with some local expert in the field of Himalayan Geo-hydrology, if so required. State PCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance. Report may be furnished on or before 26.05.2022 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF"

उक्त आदेशों के क्रम में गठित समिति द्वारा ग्राम मल्ला डढरिया, तहसील सल्ट खुमांड़, जिला अल्मोड़ा में स्थित नौला का सयुंक्त निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा वादी श्री गणेश चन्द शर्मा की उपस्थिति मे किया गया है। इस सम्बन्ध मे लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया

गया कि उक्त मोटर मार्ग लगभग 21 किमी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है। जिसमें से लगभग 2.225 कि0मी0 लम्बाई हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग का वर्तमान संरेखण नौले के लगभग 20 मीटर ऊपर से होकर गुजरता है। जिसमें मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान नौले/जल स्रोत के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना प्रतीत होती है। निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित नौला सुरक्षित पाया गया, जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा मल्ला डढरिया एवं तल्ला डढरिया के ग्रामवासियों से भी इस सम्बन्ध में वार्ता भी की गयी।

निरीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया कि यदि संरेखण को परिवर्तित कर मार्ग को नौले के नीचे से (वर्तमान संरेखण से लगभग 40 मीटर नीचे) ले जाकर पुनः उसी संरेखण में जोडा जाता है तो इससे नौले का संरक्षण हो सकता है। परन्तु उक्त संरेखण परिर्वतन से लगभग 200 मीटर अतिरिक्त लम्बाई की वृद्धि होना सम्भावित है। इस सन्दर्भ में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नये संरेखण की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जायेगी। वादी द्वारा अपने पिटीशन में सुझाये गये संरेखण में यदि मार्ग का निर्माण कार्य किया जाता है तो उक्त मार्ग की लम्बाई में लगभग 03 किमी की वृद्धि होने की सम्भावना है, जिसके लिए पुनः संरेखण किया जाना एवं पुर्नरिक्षित संरेखण की स्वीकृति सक्षम स्तर व लागत वृद्धि हेतु शासन से पुनः स्वीकृति की आवश्यकता होगी। किन्तु समिति द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव पर लगभग 200 मीटर की अतिरिक्त मार्ग की वृद्धि होगी, जिसके लिए शासन से पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही होगी।

निष्कर्ष–

समिति द्वारा निरीक्षण एवं जांच के उपरान्त समिति का निष्कर्ष एवं संस्तुति निम्न प्रकार है:–

वर्तमान संरेखण को आंशिक परिर्वतित कर मोटर मार्ग को नौले से नीचे (वर्तमान संरेखण से लगभग 40 मीटर नीचे) से ले जाया जाये एवं उससे आगे पुनः मार्ग को ऊपर ले जाकर पूर्व संरेखण में जोडा जाय, जिससे नौले/जल स्रोत का संरक्षण किया जा सकता है

अतः इस प्रकरण में गठित समिति की रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

21/05/2022

(मुकेश कुमार)
सहायक अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भिकियासैण(अल्मोड़ा)

(डा0 डी0 के0 जोशी) 21/5/22
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

21/5/22
(ई0 एल0 डी0 मथेला)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत
जिला–अल्मोड़ा

21/5/22
(डा0 ललित मोहन तिवारी)
तहसीलदार सल्ट खुमाड
जिला–अल्मोड़ा

(जयवर्धन शर्मा)
उप जिला मजिस्ट्रेट,द्वाराहाट/
सल्ट खुमाड़ (अल्मोड़ा)

Annexure-2

9

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001
कार्यालय दूरभाष सं0:–2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक:यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–564/2022/259, दिनांक: ~~23.05.2022~~ 24/5/22.

स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

विभागाध्यक्ष एवं इन्जीनियर–इन–चीफ,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय:–मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–330/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–330/2022 गणेश चन्द शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण थराड़ी–धावरा शशिखाल मोटरमार्ग के निर्माण से गांव मल्ला डढरिया में स्थापित नौले को क्षति से बचाने के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में निरीक्षण हेतु 03 विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था। संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 21.05.2022 को विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया। संयुक्त कमेटी में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित थे :–

1. श्री जयवर्द्धन शर्मा, उप जिला मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट/सल्ट खुमाड़, (अल्मोड़ा)।
2. डा0 ललित मोहन तिवारी, तहसीलदार–सल्ट खुमाड़, (अल्मोड़ा)।
3. ई0 एल0डी0 मथेला, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, (अल्मोड़ा)।
4. डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
5. श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)।

निरीक्षण आख्यानुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग लगभग 21कि0मी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है, जिसमें से लगभग 2.225 कि0मी0 लम्बाई हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त-मार्ग का वर्तमान संरेखण (Alignment) विषयगत नौले के लगभग 20 मीटर ऊपर से होकर गुजरता है। मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान नौले/जल स्त्रोत के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना प्रतीत होती है। आख्यानुसार, यदि संरेखण को परिवर्तित कर प्रस्तावित सड़क मार्ग को नौले के नीचे से (वर्तमान संरेखण से लगभग 40 मीटर नीचे) ले जाकर पुनः उसी संरेखण में जोड़ा जाता है तो, इससे नौले का संरक्षण हो सकता है, परन्तु उक्त संरेखण परिवर्तन से लगभग 200 मीटर अतिरिक्त लम्बाई की वृद्धि होना सम्भावित है।

प्राप्त निरीक्षण आख्या की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित् है कि कृपया संयुक्त जॉच समिति की संस्तुतियों के कम में वर्तमान संरेखण (Alignment) में परिवर्तन तथा सड़क की लम्बाई में अतिरिक्त वृद्धि (लगभग 200मीटर) के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से वांछित अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् करते हुये कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 सुबुद्धि) आई०एफ०एस०
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपि:–प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

सदस्य सचिव।